निरीक्षण आख्या

प्रस्ताव संख्या 35527/2018

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जौलजीबी में धौलीगंगा से बरेली 400 के0बी0 डबल सर्किट लाईन के ली0लो0 निर्माण तथा जौलजीबी से पिथौरागढ़ तक 220 के0वी0 डबल सर्किट पारेषण लाईन के निर्माण में कुल प्रभावित भूमि 58.449 है0 है, जिसका अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.06.2019 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया के वरिष्ठ उप महा प्रबन्धक श्री एन0एस0 लसपाल एवं श्री संदीप कोठारी, मुख्य प्रबन्धक के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया।

जनपद पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ वन प्रभाग अन्तर्गत जौलजीबी में धौलीगंगा से बरेली 400 के0वी0 डबल सर्किट लाईन के ली0लो0 निर्माण तथा जौलजीबी से पिथौरागढ़ तक 220 के0वी0 डबल सर्किट पारेषण लाईन के निर्माण में प्रभावित सम्पूर्ण भूमि में कुल 547 बॉज वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। यह क्षेत्र बॉज के अतिरिक्त चीड़ एवं अन्य मिश्रित प्रजाति के वृक्षों से आच्छादित है। कुल प्रभावित क्षेत्र में 45.088 है0 पंचायत भूमि एवं 13.361 है0 सिविल सोयम भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव में सूचित आंकड़ों के अनुसार इस परियोजना से जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, नैनीताल एवं बागेश्वर के 25,80,000 लोग लाभान्वित होंगे तथा निर्माण के दौरान 200 व्यक्तियों को लगभग 1 वर्ष तक रोजगार भी मिलेगा।

प्रस्तावित वन भूमि 58.449 है0 की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। प्रस्ताव में सूचित आकड़ों के आधार पर 25,80,000 लोगों को इस योजना से लाभ की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित वन भूमि को लीज हस्तान्तरण करने की संस्तुति की जाती है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

भवदीय

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

भाग–III

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जौलजीबी में धौलीगंगा से बरेली 400 के0बी0 डबल सर्किट लाईन के ली0लो0 निर्माण तथा जौलजीबी से पिथौरागढ़ तक 220 के0बी0 डबल सर्किट पारेषण लाईन के निर्माण–58.449 है0

प्रस्ताव संख्या (35527/2018)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहॉ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉ। प्रस्तावित पारेषण लाईन का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.06.2019 को प्रयोक्ता ऐजेंसी के अधिकारियों के साथ किया गया। प्रस्तावित परियोजना के 58.449 है0 में 547 बॉज वृक्ष भी प्रभावित हो रहे है, जिसमे सहमति व्यक्त की जाती है।
15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक पार्ट– II में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ। सहमत।
16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे मे सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांकः– 03.06.2019

स्थानः–अल्मोड़ा।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा